**<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>**

**15-09-2025**

**ईडी ने एसबीआई को 163.85 करोड़ रुपये मूल्य की 27 संपत्तियां वापस कीं**

प्रवर्तन निदेशालय [ईडी], चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम [पीएमएलए], 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स नाथेला संपत ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड [एनएसजेपीएल] और अन्य के 380 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में भारतीय स्टेट बैंक [एसबीआई] को चेन्नई स्थित 163.85 करोड़ रुपये मूल्य की 27 अचल संपत्तियों की वापसी की है। यह वापसी माननीय प्रधान सत्र/विशेष न्यायालय, चेन्नई के आदेशों के अनुसार पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत की गई।

ईडी ने एसबीआई के नेतृत्व वाले तीन बैंकों के संघ की ओर से एसबीआई द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर सीबीआई, बीएस एंड एफसी, बेंगलुरु द्वारा 24-03-2018 को दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जाँच शुरू की। बैंकों के संघ ने एनएसजेपीएल को 380 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि आरोपी संस्था ने धन का गलत इस्तेमाल किया और बैंक को पैसा नहीं चुकाया। आरोपी संस्था ने बैंकों के साथ धोखाधड़ी की और बैंकों को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाया।

ईडी द्वारा की गई जाँच से पता चला है कि एनएसजेपीएल के प्रवर्तकों ने ऋण राशि को अनपेक्षित उद्देश्यों और व्यक्तिगत लाभों के लिए कई संस्थाओं के माध्यम से वितरित किया। जाँच के दौरान, ईडी ने 31 जुलाई, 2018 को पीएमएलए की धारा 5 के तहत 328.44 करोड़ रुपये मूल्य की 37 अचल संपत्तियाँ [जो अपराध से प्राप्त आय के मूल्य के बराबर हैं] कुर्क कीं। इसके अलावा, 15 जुलाई, 2019 को पीएमएलए विशेष न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से एक शिकायत दर्ज की गई। इस मामले में 28 अक्टूबर, 2024 को आरोप तय किए गए और मुकदमा जारी है।

मुकदमे के दौरान, एसबीआई ने पीएमएलए की धारा 8(8) के प्रावधानों के तहत 27 कुर्क संपत्तियों की बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया। एसबीआई ने यह भी दावा किया कि एसएआरएफईएसआई अधिनियम के तहत वित्तीय लेनदार होने के नाते 27 कुर्क अचल संपत्तियों पर पहला अधिकार उसका है। धारा 8(8) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, विशेष न्यायालय मुकदमे के दौरान दावेदारों/पीड़ितों को संपत्तियां बहाल कर सकता है। एसबीआई द्वारा दायर आवेदन को ईडी ने समर्थन दिया क्योंकि एसबीआई इस मामले में एक पीड़ित बैंक था, जिसे आरोपी संस्था एनएसजेपीएल ने धोखा दिया था। ईडी ने पीड़ित बैंकों के लाभ के लिए पीएमएलए के तहत संपत्तियां कुर्क की थीं। विशेष न्यायालय के आदेश के अनुसार, चेन्नई में 163.85 करोड़ रुपये मूल्य की 27 अचल संपत्तियां 12-09-2025 को एसबीआई को रिलीज़ कर दी गईं।